न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस**

अपील सं. 2014/00172 (55/2014) 76 एलआरएक्ट द्वितीय अपील

सुरेश कुमार पुत्र नेकीराम जाति जाट साकिन बोझला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

**–: बनाम :–**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

– रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.06.2014 अपर जिला कलक्टर नोहर मु. नं. 15/2014 बअनवानी सुरेश बनाम सरकार एवं नायब तहसीलदार के निर्णय दिनांक 14.03.2014 मु. नं. 03/2014 बअनवानी स्टेट बनाम सुरेश

श्री हवासिंह पूनिया अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री मांगेराम गोदारा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक –09.10.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार राजस्व भादरा ने अपीलाण्ट के विरूद्ध धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए उसे नोटिस जारी किये। अपीलाण्ट के उपस्थित आने पर उसके द्वारा जवाब पेश किया। नायब तहसीलदार भादरा ने अपने आदेश दिनांक 14.03.2014 से पश्चार्तवर्ती अतिक्रमी घोषित किया एवं तावान तथा तीन माह के साधारण कारावास से दण्डित किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने प्रथम अपील सं0 16/2013 बअनवानी सुरेश बनाम स्टेट श्रीमान अपर जिला कलक्टर नोहर के समक्ष प्रस्तुत की जिन्होंने प्रथम अपील अपने निर्णय दिनांक 09.06.2014 के द्वारा खारिज की है। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलाण्ट ने यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट का 50–60 वर्षों से कब्जा काश्त चली आ रही है इसलिए अपीलाण्ट कानूनी खतोदार काश्तकार हो चुके हैं। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। खातेदार काश्तकार की घोषणा हेतु दावा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष विचाराधीन है जिसमें निर्णय होना है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहुत कठोर निर्णय है। भूमि रिकार्ड में गैर मुमकिन गोचर दर्ज है लेकिन काबिल काश्त भूमि है जो हमेशा से ही काश्त होती आ रही है ग्रमवासियों

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

द्वारा कभी भी सार्वजनिक उपयोग व उपभोग में नहीं लिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को समुचित अवसर नहीं दिया है। अपीलाण्ट को नुकसान पहूंचाने के लिए मातहत अदालत ने स्वैच्छाचारी मनमाना एवं विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. तहसीलदार राजस्व भादरा ने धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम के तहत अपीलाण्ट अतिक्रमी मानते हुए तावान एवं तीन माह के सिविल कारावास की सजा से अपीलाण्ट को दण्डित किया है। अपीलाण्ट का कथन है कि उसे सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है और प्रश्नगत भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी के समक्ष वाद प्रस्तुत कर रखा है। वाद प्रस्तुत करने मात्र से आराजीराज भूमि पर किसी प्रकार के अधिकार सृजित नहीं हो जाते हैं। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल कारावास की सजा एक कठोर सजा है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई सिविल कारावास की सजा एक कठोर सजा है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को भी लगभग 5 वर्ष हो चुके हैं ऐसे में सजा को कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार तीन माह की सजा की हद तक अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है लेकिन अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण किया गया है इसलिए शेष अपीलाधीन निर्णय यथावत रखे जाने योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक स्वीकार की जाती अपर जिला कलक्टर नोहर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.06.2014 व नायब तहसीलदार राजस्व भादरा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.03.2014 तीन माह के सिविल कारावास की सजा की हद तक निरस्त किये जाते हैं तथा बेदखली एवं तावान की हद तक निर्णय यथावत रखा जाता है। नायब तहसीलदार भादरा शेष अपीलाधीन निर्णय की पालना सुनिश्चत करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(आशाराम डूडी आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2019.11.26 12:12:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: